

# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 2600 / रथा. / प्रशा. / 2005

बिलासपुर, दिनांक 30.06.2005

## आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (रांशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयम समिति नी अनुशासा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक वैठक दिनांक 28.06.2005, अ.अ.विषय शामिक-02 के विभिन्नानुसार श्री केदार प्रसाद मीना (अजगा) आत्मज- श्री उरराहाय गीना की नियुक्ति निम्न लिखे गए विभिन्न पदों नी नियुक्तीय गोन्ननांतर्गत विभिन्न पदोंसही संरक्षण में त्यारलाता के पद पर वेतनमान रूपमें 8000 -275- 13500/- में दो वर्ष की परियोग्यता पर (जा। विश्वविद्यालय अध्यानयम के अंतर्गत वन मार्शल का 8000-275-13500/- में दो वर्ष की परियोग्यता पर (जा। विश्वविद्यालय अध्यानयम के अंतर्गत वन मार्शल का अनुसार आगे बढ़ाइ जा सकती है), कार्यभार ग्रहण करने की तिथि रो ती जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। गेटमान के साथ रमण्य-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यहि परिवेशात्मि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवाये चालचलन संबंधी जाँच उपर्युक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।

दिनांक 15.07.2005 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निररक्त समझी जायेगी। सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश-4 के अंतर्गत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के साथ लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं।

उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्ते उपर्युक्तानुसार होंगी, अन्य शर्त मूल्य नहीं होगी।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय रखितीय योजनांतर्गत संचालित श्रीमती सुलोचना लखन लाल त्रिवेदी इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल साइंस के स्थापना मद में विवलनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

1. ३१  
कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 30.06.2005

पृ. क्रमांक 2601 / रथा / प्रशा / 2005

प्रातिलिपि -

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलसचिव के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेपित।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेंशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छ.ग.शासन, रायपुर (छ.ग.)।
07. विभागाध्यक्ष, श्रीमती सुलोचना लखन लाल त्रिवेदी इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल साइंस, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
08. वित्ताधिकारी/ सहायक संचालक, रथानीय निधि संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. श्री केदार प्रसाद मीना पिता- श्री हरसहाय मीना.....

इस निर्देश के साथ कि वे दिनांक 15.07.2005 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वारूप परीक्षण, आयु प्रात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. निजी नस्ती।

उपकुलसचिव (प्रशा. / रथा)